भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY Santosh Kumar Pandey Advocate Lucknow 99

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DD 069573

-:आपसी विभाजन का नवीनीकरण:-

NOTARY Santosh Kumar Pandey Advocate Distt. Lucknow Regd No 22 99 GOVT. OF UTTAR PRADESH

आज दिनांक <u>07 अप्रैल 2017</u> दिन <u>शुक्रवार</u> स्थान लखनऊ में उक्त विभाजन का नवीनीकरण निम्नवत पक्षो के मध्य संपन्न किया जा रहा है |

लक्ष्मी देवी जिन्दल पत्नी रमेश चन्द्र जिन्दल निवासिनी सी-71 निराला नगर लखनऊ|

...............प्रथम पक्ष/भू स्वामी

एवं

मेसर्स आदित्य रियल्टी पंजीकृत कार्यालय-फ्लैट नं-4C चतुर्थ तल,सौभाग्या अपार्टमेंट,14 विष्णुपुरी कालोनी,चर्च रोड लखनऊ पार्टनर द्वारा शिव प्रताप सिंह पुत्र स्व0 विजय कुमार सिंह निवासी - 509/117/2. पुराना हैदराबाद लखनऊ, उ0प्र0

.... द्वितीय पक्ष **/ बिल्डर्स**

SWORN & VERIFIED BEFORE ME

जो कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष आपसी विभाजन की निम्न शर्तो एवं शरायतो पर पाबंद होते है |

1- जो की प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य **खसरा संख्या-87 वा 88 ख का भाग,** रकबा 6225 वर्ग मीटर स्थित **ग्राम अल्लू नगर डिगुरिया परगना तहसील वा ज़िला लखनऊ** के बावत एक बिल्डर्स अनुबंध पत्र दिनांक **21-4-2012** को निस्पादित हुवा था जो उपनिबंधक दितीय लखनऊ के कार्यालय में **पुस्तक संख्या-1 ज़िल्द संख्या-12414 पृष्ठ संख्या-193/300 क्रमांक 7051** दिनांक- **21-4-2012** को पंजीकृत है |

S.K.P. Santosh Kumar Pandey Advocate NOTARY LUCKNOW U.P. INDIA Date 20-6-2017

Laxmi Devi

A. Bansal

2- यह कि निर्मित हो रहे रो हाउसेस है तथा 1 से 42 तक रो हाउसेस का निर्माण किया जा रहा है |

3- यह की पूर्व में किये गए विभाजन जो की दिनांक 27-09-2013 को सम्पादित किया गया था के अनुसार विला नंबर 16, 41 एवं 42 प्रथमपक्ष/भूस्वामी में तथा विला नंबर 01,23,एवं 29 द्वितीय पक्ष / बिल्डर्स के अन्तर्गत आता था जो की आज आपसी सहमति से अदला बदली कर रहे है इस कारण भविष्य में नवीन विभाजन निम्नवत प्रकार से रहेगा |

प्रथमपक्ष/भूस्वामी	द्वितीय पक्ष/बिल्डर्स
विला संख्या	विला संख्या
1	3
2	5
4	8
6	9
7	10
12	11
13	14
19	15
23	16
24	17
27	18
29	20
31	21
34	22
39	25
42	26
	28
	30
	32
	33
	35
	36
	37
	38
	40
	41

NOTARY
Santosh Kumar Pandey
Advocate
Distt. Lucknow
Regd No 11/22/ 99
GOVT. OF ... DESH

SWORN & VERIFIED BEFORE ME

Santosh Kumar Pandey
Advocate
NOT(R)
LUCKNOW U.P. INDIA
Date 20.6.2017

आपसी उपरोक्त विभाजन के अनुसार रो हाउसेस भूस्वामी एवं बिल्डर्स अपने-अपने बेचेंगे |

4- यह की उक्त विभान उभय पक्षो के मध्य पंजीकृत बिल्डर्स एग्रीमेंट के अनुक्रम में किया जा रहा है इसलिए यह आपसी विभाजन उभय पक्षो व उनके वारिशों व विधिक उत्तराधिकारी पर भी बाध्यकारी होगा|

5- यह की उभय पक्ष अपने हिस्से के मकानों में कोई भी परिवर्तन अपने स्तर पर कर सकता है जिसमे दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं होगी |

Laxmi Devi

A. Bansal

6– यह कि द्वितीय पक्ष / बिल्डर्स के द्वारा लगाया गया EDC(External Development Charge) & ETC(Electricity Transformer Charge Amount) प्रति मकान प्रथम पक्ष/भू स्वामी को प्रत्येक मकान की बिक्री पर केता से लेकर द्वितीय पक्ष/बिल्डर्स को देना होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष/भू स्वामी की होगी।

7– यह कि उभय पक्ष आपसी विभाजन में प्राप्त रो हाउसेस को अपने अपने हस्ताक्षर से बिकय कर सकेंगे। एक दूसरे से अनुमति या अनापत्ति की आवश्यकता न होगी।

8– यह कि यदि कोई मतभेद पक्षों के मध्य भविष्य में आता है तो उभय पक्ष आपस में पंचाट के माध्यम से विवाद को तय करेंगे।

लिहाजा यह आपसी विभाजन रुबरु गवाहान अपने अपने हस्ताक्षर बनाकर निस्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

NOTARY
Santosh Kumar Pandey
Advocate
Distt. Lucknow
Regd No 11/22' 99
GOVT. OF UTTAR PRADESH

लखनऊ/दिनांक

12/06/2017

गवाह(1)

पिता का नाम

पता

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष/भू स्वामी

Lisami Dani

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME

गवाह(2)

पिता का नाम

पता

A. Bansal

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष/बिल्डर्स

S.K.Pandey
Santosh Kumar Pandey
Advocate
NOTARY
LUCKNOW U.P. INDIA
Date 20.6.2017

I know and identify the deponent who has signed before me
20/6/17